राजस्थान सरकार

राज्य स्वास्थ्य समिति (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन) राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ-12(2) एनआरएचएम/आयुष/09/5782 दिनांकः 14.12.09

अल्पावधि विज्ञापन

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आयुष चिकित्सकों के व्यक्तिगत अनुबंध आधारित पदों पर चयन हेतु पूर्व में जारी विज्ञप्ति क्रमांक एफ-12 (2) एनआरएचएम/आयुष/08/3134 दिनांक 22.09.08 के क्रम में यूनानी चिकित्सकों के रिक्त रह रहे 11 पदों पर चयन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यूनानी चिकित्सक पद हेतु आयु, मानदेय एवं शर्तें आदि पूर्व में जारी उक्त विज्ञप्ति के अनुसार यथावत रहेंगी। योग्य अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन-पत्र मय वांछित समस्त प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रतियों सहित मिशन निदेशक एन.आर.एच.एम. के नाम कमरा नंबर 309, स्वास्थ्य भवन तिलक मार्ग जयपुर राजस्थान में दिनांक 04.01.2010 सायं 5.00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक/कोरियर या व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अभ्यर्थी लिफाफे पर 'यूनानी चिकित्सक हेतु आवेदन पत्र' स्पष्ट रूप से अंकित करें। पात्रता एवं शर्तों की अन्य जानकारी विभाग की वेबसाइट www.rajswasthya.nic.in से प्राप्त की जा सकती हैं।

मिशन निदेशक एन. आर. एच. एम.
राजस्थान जयपुर

डीआईपीआर/सी/9260/09

अल्पावधि विज्ञापन हेतु

पात्रता एंव शर्तें :- (यूनानी चिकित्सकों के पदों हेतु)

यूनानी चिकित्सक:– Degree of B.U.M.S. (University of Rajasthan) or Degree of Bachelor of Unani Medicine & Surgery from Board of Indian Medicine Rajasthan or Qualification recognized as equivalent thereto by the Government
(चिकित्सक का पंजीकरण बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर में अध्यतन नवीनीकृत हो।) इसके साथ साथ अपेक्षित इन्टरर्नशिप आवेदन की अंतिम तिथि तक पूर्ण होने का प्रमाण पत्र संलग्न करें।

II मानदेय : रुपये 8,000/– प्रतिमाह फिक्स (अन्य कोई भत्ते देय नहीं)

III आयु : (क) आयु सीमा : न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष (आयु सीमा की गणना राज्य सरकार के नियमानुसार 01.01.20[redacted] को आधार मानकर की जाएगी)। (ख) अधिकतम आयु सीमा में छूटः (1) आयुर्वेद/होम्यो./यूनानी एवं प्राकृतिक सेवा नियम 1973 के नियमान्तर्गत। अनु. जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा मे 5 वर्ष की छूट देय होगी। (2) कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 7 (2) कार्मिक/क–2/84/भाग–18 दिनांक 30.04.01 के अनुसरण में राजस्थान के अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. की महिलाओं को अधिकतम आयुसीमा में 5 वर्ष की छूट। (ग) भूतपूर्व सैनिक (Ex-Service) अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु 50 वर्ष होगी। (घ) विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं है। (ड.) कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक 22.09.2000 के अनुसरण में सामान्य वर्ग के निःशक्तजन के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष, अन्य पिछड़े वर्ग के निःशक्तजन के लिए आयु सीमा में 13 वर्ष एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के निःशक्तजन के लिए अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट देय होगी।

1. चयनित अभ्यर्थियों का व्यक्तिगत अनुबंध (INDIVIDUAL CONTRACT) दिनांक 31.03.20[redacted] अथवा एन.आर.एच.एम. गतिविधियां जारी रहने तक जो भी पहले हो के लिए मान्य होगा। अगले वित्तीय वर्ष के लिए अनुबंध नवीनीकरण योग्य होगा। 2. उक्त पदों पर अनूसूचित जाति को 16 प्रतिशत, अनु.जनजाति को 12 प्रतिशत, अन्य पिछड़े वर्गों को 21 प्रतिशत नियमानुसार आरक्षण देय है। इन आरक्षित पदों में से विकलांग को 3 प्रतिशत एंव भूतपूर्व सैनिक को 12.5 प्रतिशत वर्गवार (होरिजेन्टल) आरक्षण देय है। 3. निःशक्तजन व्यक्तियों के लिए (अ) अक्षमताओं की प्रकृति को इस प्रकार से अभिव्यक्त किया जाएगाः– **O.L. one Leg affecter (R or L) (a) Impaired reach (b) weakness of girp (c) at axic** (ब) निःशक्तजन के लिए निर्धारित आरक्षित पदों का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) रूप से है अर्थात् जिस वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ी जाति/सामान्य वर्ग) का होगा, उसे उसी वर्ग के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा। (स) आवेदन पत्र के यथा स्थान पर वर्ग विशेष **"निःशक्त व्यक्ति"** (विकलांग) का उल्लेख करें तथा इस संबंध में निर्धारित प्रपत्र पर चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र जिसमें चिन्हित श्रेणी का अवश्य उल्लेख किया गया हो, की सत्यापित फोटो प्रति भी अवश्य प्रस्तुत करें अन्यथा प्रार्थी को इसका लाभ दिया जाना संभव नहीं होगा। 4. कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 7 (2) कार्मिक/प–2/96/पार्ट– द्वितीय दिनांक–07.09.07 के अनुसार महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण वर्गवार दिया जावेगा। 5. महिलाओं को व्यक्तिगत अनुबंध में नियमानुसार 30 प्रतिशत आरक्षण में ही कार्मिक (क–2) 88 पार्ट–1 दिनांक–21.09.07 के अनुसार विधवा महिलाओं को 5 प्रतिशत आरक्षण वर्गवार देय है। महिलाओं को वर्गवार आरक्षण में वर्ग विशेष की महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों द्वारा वरीयता के आधार पर भरा जावेगा। 6. दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात् तीसरी संतान होने पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है, किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो वहां बच्चो की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जावे। 7. अभ्यर्थी का चयन निर्धारित योग्यता में प्राप्तांको की वरीयता (मेरिट) के आधार पर किया जाएगा। 8. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6 (19) गृह–13/06 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन करना अनिवार्य किया गया हैं। तद्संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। 9. अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने से पूर्व अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। 10. जिन पुरूष/महिला अभ्यर्थी के एक से अधिक पति/पत्नि है तो वे इस नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। घोषणा पत्र संलग्न करें। 11. विज्ञापित आयुष चिकित्सकों के पद घटाने एवं बढ़ाये जाने का विभाग को पूर्ण अधिकार होगा। 12. जिन अभ्यर्थियों ने अपने विवाह के समय दहेज लिया/दिया है वे इस नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। घोषणा पत्र संलग्न करें। 13. [redacted]

• चयनित अभ्यर्थियों द्वारा 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर व्यक्तिगत अनुबंध करना होगा • आयुष चिकित्सक हेतु व्यक्तिगत अनुबंध प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला चिकित्सालय विशेष के लिए ही किया जाएगा। एक बार अनुबंध के पश्चात् स्थानान्तरण नहीं होगा। • पूर्व में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के प्रथम चरण में अनुबंधित आयुष चिकित्सक इस विज्ञप्ति में चयन के पात्र नहीं होगें तथा अभ्यर्थी को उक्त आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके द्वारा पूर्व में आयुष चिकित्सक की सेवाएं दिए जाने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना अन्तर्गत कोई अनुबंध नहीं किया हुआ है। • आयुष चिकित्सक का अनुबंधित स्वास्थ्य केन्द्र मुख्यालय पर रहना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न है।

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन राज. जयपुर

यूनानी चिकित्सकों के रिक्त 11 पदों हेतु आवेदनपत्र

आवेदन पत्र का प्रारूप

संविदा पर ~~आयुर्वेद~~/~~होम्यो.~~/यूनानी चिकित्सकों के पद के लिए आवेदन

पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो यहां चिपकाऐं

1. आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) –
2. पिता/पति का नाम –
3. जन्म तिथि (अंको व शब्दों में) –
4. आयु– दिनांकः– 01.01.20[illegible] को वर्ष...... माह...... दिन......
   (सैकण्डरी प्रमाण पत्र के आधार पर)
5. पत्र व्यवहार का पता – ....
6. स्थाई पता – ....
7. जाति वर्ग – ....
   (जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ हो, संलग्न करें)
   वर्ग–अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/विधवा/निःशक्तजन/भूतपूर्व सैनिक
8. वैवाहिक स्थिति – विवाहित/अविवाहित
9. दो सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र – ....
10. शैक्षणिक योग्यता – (मय प्रतिशत) ....
11. ~~बी.ए.एम.एस.~~/~~बी.एच.एम.एस.~~/बी.यू.एम.एस. में प्राप्तांकों का विवरण : –

क्र.स.	अंक तालिका विवरण	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	जांचकर्ता
1.	प्रथम वर्ष				
2.	द्वितीय वर्ष				
3.	तृतीय वर्ष				
4.	चतुर्थ वर्ष				
5.	पंचम वर्ष				
	योग –				

12. इन्टर्नशिप पूर्ण करने का दिनांक – (प्रमाण पत्र संलग्न करें) ....
13. नियोजन कार्यालय का नाम व रजिस्ट्रेशन क्रमांक/दिनांक – ....
14. दिनांक 01.06.2002 को एवं इसके पश्चात् जीवित संतानों की संख्या – ....

हस्ताक्षर अभ्यर्थी हस्ताक्षर जांचकर्ता

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि इस आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य व सही है एवं मैने कोई तथ्य नहीं छिपाया है। मैं जानता हूँ कि किसी भी सूचना के असत्य व गलत पाये जाने पर किसी भी समय मेरा आवेदन/नियुक्ति रद्द की जा सकती है।

स्थान : आवेदक के हस्ताक्षर ....

दिनांक : नाम ....

पत्र व्यवहार का पूर्ण पता :

(स्पष्ट शब्दों में पिनकोड सहित)

नोटः सभी प्रमाण पत्रों एवं अंकतालिकाओं की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदक उपरोक्त प्रारूप को टाईप/कम्प्युटराइज्ड करवाकर काम में लेवें।